

केन्द्रीय सूचना आयोग
वावा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/43
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00042
CICOM/R/2017/01469

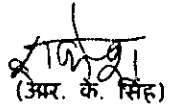
दिनांक: 12.02.2018

अपीलकर्ता : श्री नरेश कुमार साहू,
म.नं.1837, तिलयानी बजरिया,
वाई नं. 5, बबीना कैंट,
जिला - झांसी, उत्तर प्रदेश - 284401.
मो0 - 9919077339.

निर्णय की तारीख: 12.02.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	गैरदिनांकित
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	20.12.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	23.01.2018

- अपीलकर्ता द्वारा गैरदिनांकित आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है। प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि एक भी बिंदु पर सूचना उपलब्ध नहीं देकर प्रार्थी को गुमराह किया गया है तथा बिंदुवार सूचना उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है।
- संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
- तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, वावा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।


(अपर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

- श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

